मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या (23/2009) 72/2010

दायर तारीख (15.01.2009) 21.04.2010

अनवान

01. देवालाल पुत्र प्याचन्द जाति कराड़ उम्र- बालिग व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हजारीलाल पुत्र प्यारचन्द जाति कराड़ उम्र- बालिग व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादीगण

बनाम

01. प्यारचन्द पुत्र हीरा जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय खेती निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1/1 कमली पुत्री प्यारचन्द पत्नी देवीलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा।
   1/2 नन्दू पुत्री प्यारचन्द पत्नी शिवलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा।
   1/3 कजोड़ी पुत्री प्याचन्द जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां।
02. शंकरलाल मुतबन्ना जीवनलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां
03. लाडदेवी पत्नी शिवलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलियां
04. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 01/06/2022
डिक्री दिनांक : 01/06/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ हुकम दिया जाता हैं। कि वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 प्र0स0 72/10 में तनकी सख्या 1 लगायत 7 तक वादीगण के पक्ष मे निर्णित किये जाने से वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं तथा प्रकरण के साथ संलग्न अपील विरूद्व नामान्तरण सख्या 425 एवम 423 क्रमशः प्र0स0 05/09, (1/11) एवम 6/09 (7/10) को स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 425 एवम 423 निरस्त किये जाते है तथा हीरा जी की पुत्रियो बाई, नन्दु व कजोडी द्वारा वादीगण के पक्ष मे इकबाली जवाब प्रस्तुत कर उन्हे चाहा गया अनुतोष देने मे अनापति जाहिर किये जाने से तथा प्यारचन्द्र जी की दौराने वाद मृत्यु हो जाने से मोजा गोपालपुरा प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजोलिया की आ0न0 65 किता 1 रकबा 5 बीधा 19 बिस्वा एवम मोजा गोपालपुरा प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां की आ0न0 4 किता 1 रकबा 6 बीधा 5 बिस्वा से शंकर पुत्र हीरा कराड एवं लाड देवी पत्नि शिवलाल कराड की खातेदारी निरस्त की जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण को उपरोक्त कृषि भूमि से जबरन वेदखल नही करे ओर कब्जे काश्त मे बाधा नही पहुचाये। राजस्व रेकार्ड मे तदनुसार अंकन किया जावें। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। डिक्री मुर्तिब हों।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

वशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 06 वर्ष 2022 को जारी किया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाडा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा